भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *106

जिसका उत्तर सोमवार, 27 जुलाई, 2026/5 श्रावण, 1948 (शक) को दिया गया

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही का प्रभाव

†*106. श्री श्रेयस एम. पटेल:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को कॉफी उत्पादकों, किसान संघों या कर्नाटक सरकार से ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (एसएआरएफएईएसआई) अधिनियम, 2002 के अंतर्गत कार्यवाही से कॉफी बागानों को बाहर रखने की मांग की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने कॉफी की कीमतों में उतार-चढ़ाव, फसल के नुकसान, जलवायु परिवर्तन, कीट और रोग के प्रकोप और बढ़ती आदान लागत के कारण वित्तीय संकट का सामना कर रहे छोटे और सीमांत कॉफी उत्पादकों पर उक्त अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही के प्रभाव की जांच की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस अधिनियम में संशोधन करने अथवा छोटे और सीमांत किसानों के स्वामित्व वाले कॉफी बागानों को सुरक्षा प्रदान करने अथवा उनके लिए विशेष सुरक्षा उपाय करने हेतु उपयुक्त दिशानिर्देश जारी करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त अधिनियम के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही शुरू करने से पहले वित्तीय रूप से संकटग्रस्त कॉफी उत्पादकों के लिए पुनर्गठन, एकबारगी निपटान या ऋण राहत तंत्र स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही का प्रभाव" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री श्रेयस एम. पटेल द्वारा पूछे गए 27 जुलाई, 2026 को उत्तर के लिए नियत लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *106 का विवरण

(क) से (ग): सरकार को ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें कॉफी बागानों को सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाहियों से बाहर रखने की मांग की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के परामर्श से इन अभ्यावेदनों की जांच की गई थी।

यह मुद्दा सरफेसी अधिनियम की धारा 31 (i) के दायरे में कॉफी बागानों के समावेश से संबंधित है, जिसमें प्रावधान है कि इस अधिनियम के उपबंध कृषि भूमि में बनाए गए किसी भी प्रतिभूत हित पर लागू नहीं होंगे। यद्यपि उपर्युक्त परंतुक के माध्यम से सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत कृषि भूमि को छूट प्रदान की गई है, फिर भी उक्त अधिनियम में 'कृषि भूमि' की कोई परिभाषा निर्धारित नहीं की गई है, क्योंकि कृषि भूमि की परिभाषा का निर्धारण संबंधित राज्य सरकार द्वारा उनके राजस्व कानूनों के अनुसार किया जाता है।

कॉफी बागान पर सरफेसी अधिनियम के उपबंधों की प्रयोज्यता का मुद्दा भी माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएँ दायर करके उठाया गया था। माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने दिनांक 29.01.2021 को पारित अपने साझा निर्णय के माध्यम से यह निर्णय दिया कि जिस भूमि पर कॉफी बागान की फसलें उगाई जाती हैं, उस पर सरफेसी अधिनियम लागू होता है, क्योंकि कर्नाटक भूमि सुधार अधिनियम, 1961 में कृषि की परिभाषा के अंतर्गत कॉफी बागानों को सम्मिलित नहीं किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 29.1.2021 के निर्णय को 2021 की एसएलपी संख्या 7909 के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है और यह मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष न्यायाधीन है।

(घ) और (ङ): वित्तीय संस्थानों के ऋण संबंधी मामले काफी हद तक अविनियमित हैं और ऐसे मामले उधारदाताओं के बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऋण नीतियों के अनुसार अभिशासित किए जाते हैं, जिन्हें प्रासंगिक विनियामक एवं सांविधिक आवश्यकताओं के दायरे में तैयार किया जाता है। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक ने 07 जून, 2019 को तनावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचा (जिसे बाद में 28 नवंबर, 2025 को जारी तनावग्रस्त आस्तियों के समाधान संबंधी समेकित निदेश के तहत शामिल किया गया है) जारी किया है जो एक स्थायी सिद्धांत-आधारित ढांचे के रूप में उधारदात्री संस्थानों को व्यवहार्यता और अन्य पहलुओं के आकलन के आधार पर ऋण खातों का पुनर्गठन करने में सक्षम बनाता है। यह ढांचा उधारदाताओं को एक समाधान योजना को तैयार करने और लागू करने के लिए पर्याप्त गुंजाइश प्रदान करता है, जो एक विशिष्ट उधारकर्ता के अनुकूल उसके तनाव को दूर करने के लिए तैयार किया गया है, यह उधारदाताओं को प्रत्येक उधारकर्ता के लिए हाइलाइट किए गए मुद्दों के प्रभाव का आकलन करने और एक योजना तैयार करने एवं लागू करने में सक्षम बनाएगा, जो ऐसे उधारकर्ता खातों में तनाव को कम करेगा। इसके अलावा, तनावग्रस्त आस्तियों के समाधान संबंधी समेकित निदेशों में समझौता निपटान के प्रावधान भी शामिल हैं, जो उधारदाता को अपनी वाणिज्यिक विवेकशीलता तथा वसूली संबंधी विचारों के आधार पर उधारकर्ताओं के साथ निपटान की अनुमति प्रदान करता है।

इसके अलावा, किसी भी प्रतिभूत लेनदार द्वारा सरफेसी अधिनियम के तहत प्रवर्तन कार्रवाई के संबंध में चिंताओं को दूर करने के लिए सरफेसी अधिनियम की धारा 17 के तहत पर्याप्त प्रावधान किया गया है, जिसमें किसी पीड़ित व्यक्ति (उधारकर्ता सहित) को सरफेसी अधिनियम के तहत प्रतिभूत लेनदार की कार्रवाई के विरुद्ध ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) में प्रतिभूतिकरण आवेदन (एसए) दर्ज करने का सहारा लेना होगा।
